

**सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय**  
**उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)**  
**पत्रांक /डीटीईयू(सेवा०)/ई-१/स्थाना०/२०२४**  
**दिनांक १० जून २०२४**  
**कार्यालय-आदेश**

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून-2024 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र०स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	कु० नेहा मौर्य	वरिष्ठ सहायक	शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हरिद्वार	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैन्सडॉन	जनहित में
2	श्रीमती यामिनी त्रिपाठी	वरिष्ठ सहायक	शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, चम्पावत	जिला सेवायोजन कार्यालय ऊधमसिंह नगर	जनहित में
3	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	नगर सेवायोजन कार्यालय, पौड़ी	शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, चम्पावत	स्वयं के अनुरोध पर
4	श्री हुनेश सिंह	वरिष्ठ सहायक	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैन्सडॉन	नगर सेवायोजन कार्यालय, पौड़ी	स्वयं के अनुरोध पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

नोट— अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(संजय कुमार)  
निदेशक, सेवायोजन

**१८६२-७०**

**पृष्ठाकंन—** /डीटीईयू(सेवा०)/ई-१/स्थाना०/२०२४ तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि:-**

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी० रोड सर्वे चौक देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
5. आहरण वितरण अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी, (नैनीताल)।
6. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा/लैन्सडॉन/सम्बंधित सेवायोजन अधिकारी।
7. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
9. गार्ड पत्रावली निदेशालय (सेवा०)।

(संजय कुमार)  
निदेशक, सेवायोजन